डा0 बी0 राजेन्दर *भा0प्र0से0*, **जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण द्वारा दिनांक 31.12.2010 को चनपटिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का किए गए निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :–**

1.0 श्री कमलेश कुमार, प्रखंड प्रमुख, चनपटिया द्वारा बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन महिला सामाख्या संस्था द्वारा संचालित किया जाता है वह संतोषप्रद नहीं है। इस संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.0 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना का 300 (तीन सौ) लाभार्थियों के बीच चेक वितरित किया जाना है। निदेश दिया गया कि दिनांक **04.01.2011 को प्रखंड परिसर में कैम्प लगाकर** इस राशि को लाभार्थी के बीच बांट दें।

3.0 छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के छात्रवृति कैम्प लगाकर विद्यार्थियों के बीच बांटे।

4.0 निरीक्षण के क्रम में पशु चिकित्सालय एवं ई किसान भवन निर्माणाधीन पाया गया। संबंधित निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ युद्धस्तर पर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

5.0 प्रखंड परिसर बड़ा है परंतु चहारदीवारी के अभाव में अतिक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। इसके चहारदीवारी कराने की आवश्यकता है प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राक्कलन बनाकर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

6.0 मनरेगा कार्यालय के कैश बुक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 1,29,870.00 रू0 अवशेष राशि है। कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मनरेगा योजना को युद्धस्तर पर पूरा करें। यदि राशि का अभाव हो तो उपयोगिता प्रमाणपत्र जिला को भेजकर राशि प्राप्त करें।

7.0 अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनरेगा अंतर्गत 2,51,000.00 रू0 की संचालित योजना, महनाकुली पंचायत के ग्राम बरवाचाप के वार्ड संख्या-10 में दुर्गा स्थान से होते हुए बचन मिश्र के घर तक जाने वाली मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मास्टर रौल में 12 (बारह) **मजदूर का नाम दर्ज पाया गया परंतु वहां पर मात्र 6 (छह) मजदूर ही कार्य कर रहे थे।** जिनका नाम मास्टर रौल में दर्ज नहीं था वे भी काम कर रहे थे। श्री लालजी यादव, मेट द्वारा मजदूरों की उपस्थिति की एक अलग से पंजी तैयार किया गया जो नियमानुकूल नहीं है। श्री मोहन दास, पिता श्री धुरई दास द्वारा बताया गया कि वे आज काम पर नही हैं परंतु उनके जॉब कार्ड संख्या 305997 में उनकी उपस्थिति दर्ज है। श्री जितेन्द्र दास, पिता लालजी दास द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 5 **(पांच) दिन** कार्य किया गया है, तथा उनके द्वारा आज भी कार्य किया गया है, परंतु उनके जॉब कार्ड में उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है। श्री जगन्नाथ राउत द्वारा बताया गया कि आज उनके द्वारा पहला दिन काम किया जा रहा है, परंतु उनके जॉब कार्ड में दिनांक **20.12.2010 से 30.12.2010 तक** उपस्थिति दर्ज किया हुआ पाया गया। श्री रामनाथ पटेल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कार्य

किया गया है, परंतु जॉब कार्ड में उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है। निरीक्षण के क्रम में रोजगार जॉब कार्ड पंजी अधूरा पाया गया। पंजी में जॉब कार्डधारी का नाम अंकित नहीं था न ही मजदूर का हस्ताक्षर बना हुआ था। श्री राजेश कुमार वर्मा, पंचायत रोजगार सेवक को इस संबंध मे कोई जानकारी नहीं है। पंचायत रोजगार सेवक कार्य के प्रति उदासीन है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। वे मात्र औपचारिकता निभा रहे हैं। अतः **श्री राजेश कुमार वर्मा, पंचायत रोजगार सेवक, महनाकुली पंचायत को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है।**

Rajender 1.1.2011
(बी0राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 21-2/11-04/गो0, दिनांक 03-1-2011

प्रतिलिपि :- श्री राजेश कुमार वर्मा, पंचायत रोजगार सेवक, महनाकुली पंचायत को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया / जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajender 1.1.2011
(बी0राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 21-2/11-04/गो0, दिनांक 03-01-2011

प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 1.1.2011
(बी0राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।